Extension of Drought Prone Area Programme

60. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a number of States and Members of Parliament have represented to the Government for the expansion of Drought Prone-Area Programme on the grounds that some of the areas left out of this Central Scheme are equally bad and that there is a need for inclusion of such areas under this programme;

(b) if so, the decision of Government in this regard;

(c) whether Dr. Minhas Committee had recommended consideration of extension of area under this programme during the 6th plan; and

(d) if so, what action has been taken for the expansion of the programme to the chronically drought affected areas which have been left out by the previous regime if the present programme is to continue during the 6th Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) No proposal for inclusion of new areas under Drought Prone Areas Programme is under consideration at present.

(c) No, Sir.

(d) In view of (c) above, the question does not arise.

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आबंटित आवासों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था

61. **श्री नवाब सिंह चौहान : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिन स्थानों पर सरकारी आवास आबंटित किये गये हैं वहां अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गोल मार्केट क्षेत्र, नई दिल्ली में, जहां बहु-मंजिले फ्लैट बनाये गये हैं अत्यधिक गन्दगी और कूड़ा-करकट पड़ा रहता है तथा वहां मलेरिया आदि जैसे रोग फैलने का खतरा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बीच विवाद के कारण इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इस क्षेत्र को जहां पहले धोबीघाट था, समुचित रूप स कब तक विकसित कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नियमों के अधीन अनुमेय सुविधाएं सभी सरकारी क्वार्टरों में दी जाती है । यदि किसी क्वार्टर में किसी प्रकार की सुविधा में कमी हो तो उस क्वार्टर के निवासी द्वारा शिकायत करने पर उस कमी को दूर किया जाता है । तथापि, नई विकसित कालोनियों में बागबानी, पार्कों आदि जसी सुखसुविधाओं की व्यवस्था तभी की जाती है जब निर्माण कार्य तथा आवश्यक सेवाओं का कार्य पूरा हो जाता है ।